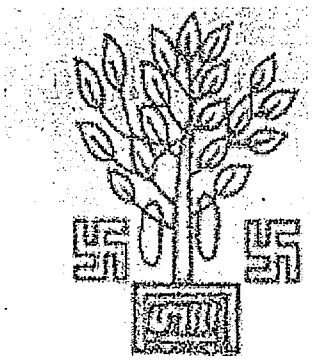

उपभोक्ता कल्याण निधि मार्गदर्शिका
2011

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु मार्ग–दर्शिका।

1. *उद्देश्य*

उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं का कल्याण, सम्बर्द्धन एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने के साथ–साथ राज्य में खासकर ग्रामीण परिवेश में स्वंयसेवी/ऐच्छिक संस्थाओं को इस हेतु सुदृढ़ करना है।

2. वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 के प्रावधान के अनुसार विहित प्रपत्र (फार्म ए0) में आवेदन निम्न पता पर भेजा जायेगा :–

निदेशक–सह– सदस्य सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
पुराना सचिवालय, पटना – 800 015

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं गत तीन वर्षों की अलग–अलग वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित विवरणी, सदस्यों की सूची तथा उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 के तहत अपेक्षित अन्य सूचनाएँ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेजों की राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। संगठन के परीक्षित लेखाओं के विवरणी पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का पंजीयण संख्या और उनके कार्यालय की मुहर/सील अवश्य लगी होनी चाहिए।

उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी के माध्यम से जॉचोपरांत अनुशंसित आवेदन निदेशक–सह–सचिव को भेजा जायेगा।

3. वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जायेगी।

- उपभोक्ता साक्षरता के प्रसार हेतु साहित्य और दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार एवं वितरित करने तथा उपभोक्ता शिक्षा हेतु जानकारी बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम।
- क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सुविधा स्थापित करने से संबंधित कार्यक्रम।
- जिला/अनुमंडल स्तर पर उपभोक्ता शिक्षण गतिविधियों को स्थायी आधार पर चलाने हेतु आधारभूत सुविधायें सृजित किये जाने से संबंधित कार्यक्रम।
- उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 में वर्णित प्रयोजनों से संबंधित कार्यक्रम।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त स्थायी समिति की राय में उपभोक्ता कल्याण के संवर्द्धन से संबंधित वैसी योजनाएँ जो अत्यावश्यक सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकती है।

"कम्पोनेन्टस" जो सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य समझे जायेगे :—

निम्नलिखित मदों में उपभोक्ता कल्याण कोष से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

1. सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित व्यय।
2. ऐसे व्यय जो स्थायी समिति के द्वारा किसी कार्यक्रम/परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनिवार्य समझे जाये।

   नोट :— सामान्य रूप से कर्मियों के वेतन का भुगतान आवर्तक रूप से अनुमान्य नही होगा परन्तु किसी परियोजना के संचालन हेतु एक निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रशिक्षित/व्यवासायिक योग्यता रखने वाले कर्मियों पर हुये व्यय की अनुमान्यता पर विचार किया जा सकेगा बशर्ते की यह निश्चित हो सके कि ऐसे नियुक्त कर्मियों की सेवा परियोजना के संचालन के लिए अपरिहार्य हो। यह कि ऐसे कर्मियों पर होने वाला व्यय सम्पूर्ण परियोजना के कुल व्यय के 15 प्रतिशत से अधिक नही होगा। इस प्रकार के व्यय पर निर्णय लेने के क्रम में उस परियोजना के स्वरूप को ध्यानगत रखना होगा। परियोजना के अनुश्रवण से संबंधित होने वाले व्यय का वहन इस कोष से प्राप्त राशि से किया जा सकेगा।

4 जिला पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों के जॉच की प्रक्रिया :—

जिला पदाधिकारी आवेदन अग्रसारित/अनुशंसित करने के क्रम में निम्न तथ्यों का परीक्षण करेगें :—

1. संस्थान के नियम/बायलॉज
2. वार्षिक प्रतिवेदन
3. विगत तीन वर्षो का अंकेक्षित व्यय प्रतिवेदन
4. चालू एवं अगामी वर्षो का वार्षिक कार्य योजना
5. किन विशिष्ट कारणों से आवेदन अनुशंसित किया गया है।

   I

   II

   III

5. योग्यता

निम्नांकित संस्थाएँ/अभिकरण वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य माने जायेगें :—

(i) कोई संस्था/अभिकरण जो विगत तीन वर्षो से उपभोक्ता कल्याण की गति—विधियों में स्वैच्छिक रूप से संलग्न रहे हो, और ऐसी संस्थाएँ/अभिकरण कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य कानून से निबंधित हो।

(ii) ग्राम/पंचायत/नगर निगम स्तर की उपभोक्ता सहकारी समितियॉ खासकर महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में विगत तीन वर्षो से कार्य कर रहे है।

(iii) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) के अधीन चिन्हित वैसी औद्योगिक संस्थान जो विगत पॉच वर्षो से उपभोक्ता हितों की लाभकारी अनुसंधान की गतिविधियों में संलग्न हो और उनके द्वारा जन सामान्य हेतु उत्पादन के "मानक चिन्हों" का निर्माण किया गया हो या किया जा रहा हो।

6. वित्तीय सहायता की सीमा

एक आवेदक को वित्तीय सहायता की कुल राशि पॉच लाख से अधिक नही होगी। वित्तीय सहायता अनुमोदित राशि का 90 प्रतिशत होगा। वित्तीय सहायता की राशि का निर्धारण उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली 2011 के द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर की वैसी संस्थाऐं जो ग्रामीण क्षेत्र एवं महिलाओं के उत्थान में बेहतर भागीदारी रखती हो को प्रमुखता दी जायेगी।

(506)

7. बंधेज एवं शर्तें :—

(i) सहायता राशि का उपयोग किसी राजनैतिक दल के प्रचार हेतु नही किया जायेगा।

(ii) परियोजना की प्रगति/कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रतिवेदन निदेशक—सह—सदस्य सचिव को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) समिति, उपभोक्ता कल्याण कोष से दी गयी वित्तीय सहायता से पूर्णतः या पर्याप्त रूप में अधिग्रहित परिसंपतियों का ब्योरा रखेगा। ऐसी परिसंपतियों को सरकार की पूर्वानुमति के बिना उन प्रयोजनों के अलावा जिनके लिए अनुदान दिया गया है, अन्य कार्यों के लिए उसका निबटारा/ऋणग्रस्त या इस्तेमाल नही किया जायेगा। यदि संगठन किसी समय अस्तित्व में नही रहता है तो ऐसी परिसंपतियों सरकार को लौटा दी जायेगी।

(iv) समिति के अध्यक्ष, योजना के कार्यान्वयन की मोनिटरिंग अनिवार्य रूप से करेगें और सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

7/06/2011

प्रधान सचिव